# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या–1240/2014/जयपुर**

मैसर्स थाईसेन क्रुप एलीवेटर इण्डिया प्रा.लि.,
सिविल लाईन्स, जयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त (वैट एवं आई.टी.),
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ कैम्प जयपुर**
**श्री खेमराज, अध्यक्ष**

**उपस्थित : :**
श्री आर.सी.अग्रवाल,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यार्थी राजस्व की ओर से

**निर्णय दिनांक : 20.01.2017**

**निर्णय**

1. अपीलकर्ता ने यह अपील अतिरिक्त आयुक्त (वैट एवं आई.टी), वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "**सशक्त अधिकारी**" कहा जायेगा) के आदेश क्रमांक:प.5सी(44)/एसीसीटी/वैटआईटी/करदर/13/572 दिनांक 25.04.2014 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 ( जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) की धारा 36 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलकर्ता द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष निम्न प्रश्न किये गये कि :–

(A.) Whether in view of definition given under section 2(44) of RVAT Act, 2003. w.e.f. 15.04.2011. Our transaction fall under the head of "work contract".

(B.) What rate is to be charged as per notification bearing No.F.12(15) FD/Tax/120114 of dated 26.03.2012 in relation to work contract exemption fee.

3. व्यवहारी फर्म द्वारा विभिन्न साईटों पर लिफ्ट की सप्लाई संस्थापन एवं प्रतिस्थापन का अविभाजनीय संव्यवहार किया जाता है।

4. इस संबंध में सशक्त अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आन्ध्रप्रदेश राज्य बनाम कोन एलीवेटर (2005) 140 STC 22 के आलोक में प्रश्नगत निर्णय प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्णतया लागू होने से लिफ्ट को बिक्री का प्रकरण माना है न कि संकर्म संविदा का। प्रश्न संख्या 1 के क्रम में संव्यवहार को बिक्री की परिभाषा में माना गया, जो कि अधिनियम की धारा 2(35) में वर्णित है।

5. इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 का जवाब देते हुए निर्णित किया है कि उपरोक्तानुसार कम्पनी द्वारा किया जा रहा संव्यवहार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आन्ध्रप्रदेश राज्य बनाम कोन एलीवेटर के प्रकरण में विक्रय संव्यवहार होने के कारण एवं सकर्म संविदा संव्यवहार नही होने के कारण राज्य सरकार की अधिसूचना एफ. 12(15)/एफडी/टैक्स/12–114 दिनांक 26.03.2012 (समय समय पर संशोधित) के

लगातार.....2

अनुसार कर मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

6. सशक्त अधिकारी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आन्ध्रप्रदेश राज्य बनाम कोन एलीवेटर के प्रकरण में दिया गया निर्णय 2005–140–एसटीसी 22 के आधार पर संबंधित कार्य को संकर्म संविदा संव्यवहार नहीं माना गया है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आन्ध्रप्रदेश राज्य बनाम कोन एलीवेटर के उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निरस्त करते हुए दिनांक 06.05.2014, **[2014] 71 VST 1 (SC)** को निम्न प्रकार निर्णय दिया गया है–

(i) **A contract for manufacture, supply and installation of lift is a works contract and not a contract for sale.**

(ii) **A lift has to be understood in the conceptual context of the manufacture and installation of a lift in a building. The lift basically comprises components like the lift car, motors, ropes, rails, etc., having their own identity even prior to installation. Without installation, the lift cannot be mechanically functional because it is a permanent fixture of the building having been so designed. Therefore, the installation of a lift in a building cannot be regarded as a transfer of a chattel or goods but a composite contract.**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब इसी बिन्दु पर ही विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए लिफ्ट की स्थापना कार्य को संकर्म संविदा माना जा चुका है अतः सशक्त अधिकारी का अपीलाधीन आदेश उक्तानुसार अपास्त किया जाता है एवं लिफ्ट की स्थापना का कार्य संकर्म संविदा का माना जाता है।

8. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( खेमराज )
अध्यक्ष